कार्यालय भामाशाह कृषि उपज मंडी, कोटा

KRISHI UPAJ MANDI SAMITY KOTA के द्वारा कोटा जिले के वनमण्डल कोटा प्रादेशिक के ग्राम अनन्तपुरा एवं उम्मेदगंज में LAND FOR EXTENTION OF BHAMASHAH KRISHI MANDI SAMITI के निर्माण कार्य हेतु 74.00 हेक्टयर वन क्षेत्र के अनारक्षण के लिए ONLINE पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वैब पोर्टल OSMFWCP पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Others/20036/2016 पर दिनांक
29.6.2016 को रजिस्टर किया गया था। जिसे आपके द्वारा प्रस्ताव मे आक्षेप लगाकर लौटा दिया गया था। उक्त प्रस्ताव की कमियो को निम्नानुसार दुरस्त कराकर उन्हे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।—

1. यूजर ऐजेन्सी द्वारा पूर्व में कोई भी स्वीकृत/अस्वीकृत/प्रक्रियाधीन प्रस्ताव आज दिनाँक तक फाईल नही किया गया है। और यह पहला प्रस्ताव है।

2. निवेदन हैं कि पूर्व में प्रस्तावित कॉमर्शियल मण्डी एक्टीविटीस का हिस्सा थी जिसे मण्डी एक्टीविटीस के अन्दर ही सम्मिलित कर दिया गया है। जो कि पूर्व से ही ट्रको उतार व लदान के लिए आरक्षीत की गई है।

3. निवेदन हैं कि मान्य जिला कलेक्टर महोदय को बार—बार जमीन हेतु लिखा गया परन्तु सम्मिलित प्रयास के बावजूद उपयुक्त स्थान जो जन सुविधा के अनुरूप हो के लिए भूमि की उपलब्धता नही मिलीं। इसके लिए यूजर ऐजेन्सी द्वारा मान्य जिला कलेक्टर महोदय को बार—बार लिखा। तथा यूजर ऐजन्सी के अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत सम्पर्क किया गया साथ ही यूजर एजेन्सी के विभाग के मंत्री, स्थानी सांसद, विधायक एवं अन्य जन प्रतिनिधियों एवं व्यापारि वर्ग सर्वसम्मति से यह तय किया कि मण्डी से लगती हुई जमीन जिस पर अतिक्रमण का पूरा पूरा खतरा है। तथा जिस पर किसी भी प्रकार का पौधारोपण सम्भव नही है साथ ही स्थानीय वन मण्डल अधिकारी द्वारा सहमति प्रस्तुत करने का सर्वसम्मती से प्रस्तावित भूमि का चयन किया गया । वर्तमान में इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जो कि कृषि मण्डी को यहाँ से अन्य स्थान ले जाना सम्भव नहीं है।

4. प्रस्ताव के पार्ट—I के बिन्दु सं. G में यूजर एजेन्सी द्वारा MOEF & CC के निर्धारित प्रपत्र में Cost Benefit Analysis संलग्न कर दिया गया है।

5. प्रस्ताव के पार्ट—I के बिन्दु सं. C-ii (b) में यूजर एजेन्सी द्वारा संलग्न KML file में कम्पोनेंट के अनुसार संलग्न कर दी गई है।

6. प्रस्ताव के पार्ट—I के बिन्दु सं. K में यूजर एजेन्सी द्वारा FRA certificate सलंग्न किया गया हैं तथा इसके साथ ही इसमें जिला स्तरीय बैठक में कार्यवाही विवरण, उपखण्ड स्तरीय समिति का बैठक कार्यवाही विवरण एवं मोहल्ला विकास समिति के रजिस्टर की फोटा प्रति संलग्न कर दी गई है।

7. प्रस्ताव में अतिरिक्त सूचनाएँ निम्नानुसार है।
   1. प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियाँ संलग्न कर दी गई है।
   2. परियोजना रिपोर्ट संलग्न कर दिया गया हैं।
   3. निवेदन है कि 28 हेक्ट. रोड इसलिए प्रस्तावित है क्योंकि पी.डब्ल्यू.डी के तकमीनों के हिसाब से 28 हेक्ट. प्रस्तावित है व यूजर एजेन्सी द्वारा भी 28 हेक्टर प्रस्तुत है तथा ट्रकों की आवा—जाही के लिए चौड़े रोड होना आवश्यक है।

उपरोक्त मण्डी का निर्माण 1980 में हुआ था 37 वर्षो के अन्दर आए भारी बदलाव कृषि जिन्सों की पैदावार में अप्रत्याक्षित वृद्धि तथा वन उपज जैसे परम्परागत लघु उद्योगों को बाजार में आना तथा मार्केट में अमूल चूल परिवर्तन के कारण मण्डी का स्वरूप बहुत विस्तृत हो गया है और जिनसों की भारी आवक आने से मण्डी प्रांगण छोटा होने से जाम की स्थिति बनी होती हैं व दुर्घटना होती रहती है तथा शीघ्र खराब होने वाले फल, सब्जियाँ, कृषि जिन्स समय पर निलामी हेतु निर्धारित स्थान पर प्लेटफार्म पर नही पहुँच पाते है जिसकी वजह से किसानों का , सरकार का तथा देश का सीधा—सीधा नुकसान होता है साथ ही मण्डी पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने से सालों से शोषित लघु वन उपज बेचने वाले, छोटे किसान, छोटे व्यापारी, सीधा माल

लाकर मण्डी में बेचते हैं तो राष्ट्रीय निति के अनुरूप उनकी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा। आत्म सुधार बढ़ेगा। शोषण से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार इस मण्डी के विस्तार से गरीब लघु वन उपज बेचने वाले छोटे व्यापारी, किसान लाभान्वित होंगे। वही देश की आर्थिक स्थिती में सुधार होगा।

अतः निवेदन हैं कि उपरोक्त तथ्यों को रिकॉर्ड पर लेकर कार्यवाही को आगे बढ़ाने की अनुशंषा कर अनुग्रहीत करें

(डॉ. आर.पी. कुमावत)

सचिव,

भामाशाह कृषि उपज मंडी, कोटा